उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

संदर्भ संख्या F57642 सी–1/एन/एन0ओ0सी0–1011/2014 दिनांक 20-3-15

आई0टी0/आई0टीज0 प्रोजेक्ट हेतु

सेवा में,

मै0 एस0पी0 सांई आई0टी0 प्रा0लि0,

ए–60 सी, प्रथम तल, सेक्टर–63,

नोएडा ।

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक शून्य का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा हैः–

(क) **स्थलः**– प्लाट नं0– 17, सेक्टर– टेकजोन–4, ग्रेटर नोएडा

(ख) **उत्पादनः**–प्रस्तावित 1,00,020.20 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्डअप एरिया 3,38,402.548 वर्गमीटर भूमि पर आई0टी0/आई0टीज प्रोजेक्ट का निर्माण।

ग) **मुख्य कच्चे मालः**–बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) **घरेलू उत्प्रवाह की मात्राः**– 589 के0एल0डी0

(ङ.) **प्रयुक्त ईधनः**– 1250 के0वी0ए0 के 02, 1000 के0वी0ए0 के 04, 1010 के0वी0ए0 के 14 एवं 750 के0वी0ए0 का 01 डी0जी0सेट हेतु।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

........कृ0प0उ0/–

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।

5– मै0 एस0पी0 सांई आई0टी0 प्रा0लि0 द्वारा **आई0टी0/आई0टीज0** प्रोजेक्ट जो 1,00,020.20 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल में है, के अन्तर्गत बिल्डअप एरिया 3,38,402.548 वर्गमीटर भूमि पर निर्माण किया जायें। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नही किया जायेगा।

6– संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार 589 कि0ली0/दिन घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 700 कि0ली0/दिन क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जायेगा।

7– संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डीजीसेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

8– सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम0एस0डब्ल्यू0 रूल्स 2000 के प्राविधानों के अनुसार किया जायें।

9– म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जायें।

10– समस्त प्रस्तावित डी0जी0 सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ–साथ प्रस्तावनुसार चिमनी भी स्थापित की जाये।

11– संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

12– संस्था नियमानुसार हरित पट्टिका का विकास करें।

13– यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम,1974 एवं वायु अधिनियम,1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

14– संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीयरेन्स में वर्णित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

15– यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पॉच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।

16– यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा0 न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों/स्वीकृतियों के अधीन होगी।

17– उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उत्प्रवाह परिसर के बाहर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर रिवोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर नही डाला जायेगा।

..........3/–